



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2015/चैत्र 5, 1937

No.175]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2015/CHAITRA 5, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2015

सा.का.नि 226(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) यह योजना कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2015 कहलाएगी।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 9 और उसके स्पष्टीकरण में "वास्तविक सेवा" शब्दों के स्थान पर "अभिदायी सेवा" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. एस-65015/1/2013-एसएस-II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2015

**G.S.R. 226(E).**—In exercise of powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:—

1. (1) This scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2015.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, in paragraph 9 and the explanation therein, for the words "actual service", the words "contributory service" shall be substituted.

[F. No. S-65015/1/2013-SS.II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.